भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 891
दिनांक 29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आवश्यक दवाइयों की गुणवत्ता

891. श्रीमती संजना जाटव:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाजार में बिकने वाली पैरासिटामोल सहित 50 से अधिक दवाइयों की गुणवत्ता केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली महत्वपूर्ण दवाइयां जैसे पैन-डी और रक्तचाप, मधुमेह, विटामिन, पेट के संक्रमण, कैल्शियम की दवाइयां गुणवत्ता मानक में विफल रही हैं

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दवाइयों की निर्माता कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इन कंपनियों को काली सूची में डाला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): विभिन्न कंपनियों की ऐसी दवाओं की सूची, जिन्हें केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं/नकली/भ्रामक ब्रांड वाली/मिलावटी घोषित किया गया है, नियमित रूप से अपलोड की जाती है तथा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की वेबसाइट पर ड्रग अलर्ट शीर्षक (www.cdsco.gov.in) के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती है। दवाओं की गुणवत्ता या सुरक्षा से संबंधित मामलों में, जब भी रिपोर्ट की जाती है, तो संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और उसके नियमों के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है, जिसमें उचित न्यायालय में अभियोजन भी शामिल है।

******